नई दिल्ली नगर परिषद् द्वारा दुकानों का आवंटन

7540. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन अवंटितियों के नाम क्या हैं जिन्हें जनवरी, 1986 से फरवरी, 1995 के दौरान नई दिल्ली नगर परिषद् द्वारा दुकानों, खोखों (किआक्स) और चबूतरों (प्लेटफार्म्स) का आवंटन किया गया है;

(ख) उन समाचार पत्रों के नाम क्या-क्या हैं जिनमें उक्त आवंटन के लिये निविदाएं अथवा आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन प्रकाशित हुए थे और ये किस-किस तारीख को प्रकाशित हुए थे;

(ग) उन आवंटितियों के नाम क्या-क्या हैं जो उक्त परिसरों में व्यक्तिगत रूप से व्यवसाय कर रहे हैं;

(घ) उन आवंटितियों के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने उक्त परिसरों को मुख्तारनामे के माध्यम से अथवा अन्यथा अंतरित कर दिया है; और

(ङ) उक्त दुकानों के आवंटन के लिये क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) से (घ) नई दिल्ली नगर परिषद् द्वारा जिन आवंटियों को जनवरी, 1986 से फरवरी, 1995 तक दुकानों, खोखों (कियोस्क) तथा चबूतरों (प्लेटफार्म) का आवंटन किया गया है, उनके तथा जो व्यक्तिगत रूप से स्वयं व्यवसाय कर रहे हैं अथवा जिन्होंने भागीदारी विलेख द्वारा तथा बाद में भागीदारी विलेख करके इन परिसरों को अन्तरित किया है उन के नामों का ब्यौरा उन समाचार पत्रों, जिनमें उक्त आवंटन के लिए निविदाएं अथवा आवेदनपत्र आमंत्रित करने वाले विज्ञापन प्रकाशित हुए थे, के नामों सहित और इन विज्ञापनों के प्रकाशन की तारीखें अनुलग्नक के अनुसार हैं। [देखिये परिशिष्ट 173, अनुपत्र सं० 163]

(ङ) नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा जनवरी, 1993 में बनाए गए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 5.5.94 को अधिसूचित किए गए आवंटन नियमों को अंगीकृत करने से पूर्व आवंटन के कोई विस्तृत नियम नहीं थे। आम जनता को दुकानों/कार्यालय स्थलों, इत्यादि का आवंटन, बल्कि आवंटन उपलब्ध होने पर निविदा आधार पर किया जाता था। फुटकर बिक्री के मामले में, आवंटन नई दिल्ली नगर परिषद् द्वारा प्राप्त किए गए आवेदन पत्रों में से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाता था। ऐसे आवंटन करते समय आस-पास के प्रचलित बाजार दरों को ध्यान में रखा जाता था। फिलहाल, नई दिल्ली नगर परिषद् सम्पत्ति प्रबन्ध तथा नियंत्रण (आवंटन) नियमावली, 1994 लागू

Prices of Flats/Shops constructed by DDA

7541. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the prices of various types of flats/shops constructed by DDA have been increased during the last three years;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that DDA have issued any new application forms for the allotment of flats; and

(d) if so, the type of flats which have been constructed/or under construction and the total cost per flat and by when the flats will be allotted to the persons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) and (b) Indicative cost of DDA flats during the last three years is as under:—

(In lakhs)

Category	1992-93	1993-94	1994-95
EWS	Rs. 1.34	Rs. 1.33	Rs. 1.53
LIG	Rs. 2.74	Rs. 2.82	Rs. 2.83
MIG	Rs. 5.01	Rs. 5.72	Rs. 5.74
SFS Cat.II	Rs. 5.69	Rs. 5.84	Rs. 6.14
Cat. III	Rs. 7.44	Rs. 8.11	Rs. 8.61

As a rule shops are diposed of by auction to the highest bidder, and their prices depend upon market conditions.

(c) and (d) Yes, Sir. On 24.1.95, DDA had issued a brochure containing application forms for allotment of flats under Expandable Housing Scheme, 1995. Under this scheme, one room set (Type A) and two room set (Type B) houses constructed on Expandable Housing pat-